(b) if so, Ihe time by which it is likely to be increased; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF (PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (c) There is no such proposal at present, in view of the restricted availability of LPG and the huge waiting list.

सुन्दर राजन समिति की सिफारिशें

*150. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार को सुन्द राजन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया हैं, यदि हां, तो कब;

(ख)क्या समिति ने सरकार से सिफारिश की हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के नियंत्रण-मुक्त आयात और निर्यात तथा घरेलू बाजार में इसके मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के समान स्तर पर लाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों हेतु देश में खुले बाजार की व्यवस्था की जाए;

(ग)यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि देश मेंकई पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य अंतर्राष्ट्री बाजार में प्रचलित मूल्यों से अधिक हैं; और

(घ)यदि हां, तो ऐसे पदार्थों के नाम क्या हैं और सरकार ने सुन्दर राजन समिति की उक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्रवाही की हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) जी, हां। रिपोर्ट फरवरी, 1995 में प्राप्त की गई थी।

(ख) से (घ) सुन्दराजन समिति रिपोर्ट, राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्सरंचना के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र प्रबंधन तथा शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के अग्रणी विशेषज्ञ सदस्यों को लेकर तैयार किए ग "नीति निर्धारण योजना दल" के लिए प्रारम्भिक सामग्री हैं। नीति निर्धारण दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की हैं।

मध्य प्रदेश में उपयोगी वृक्ष काटने की स्वीकृति

*151. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश शासन ने नीम और महुआ जैसे उपयोगी वृक्षों को काटने की आम स्वीकृति दे दी हैं जबकि महुआ तो गरीब और विशेषकर आदिवासियों की खुराक हेतु फल देते हैं;

(ख)यदि हां, तो देश में नीम जैसे उपयोगी वृक्ष को काटने की स्वीकृति देकर औषधीय भण्डार तथा कृषि खाद का विनाश करने तथा ऐसे वृक्षों को काटने की स्वीकृति देकर व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का औचित्य क्या हैं; और

(ग)क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को इन वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की सलाह देगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने पेड़ों की कटाई के लिए कोई सामान्य स्वीकृति प्रदान नहीं की हैं। दिनांक 10 नवम्बर, 1994 की अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार ने 31 वृक्ष प्रजातियों की इमारती लकड़ी और जलावन की लकड़ी के पारगमन को पारगमन पत्र से छूट दी हैं। नीम और महुआ अधिसूचना में शामिल नहीं हैं। अधिसूचना में शामिल अधिकांश वृक्ष प्रजातियों से इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी मिलती हैं। या फिर वे सजावटी किस्म के है ा?

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Infiltration of Militants Through Border

152. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether according to intelligence reports militants have planned to infiltrate in groups through the borders of Jammu and Kashmir, Punjab' .and Rajasthan;

(b) whether it is a fact that militants have planned to attack the major cities of U.P., J&K, Punjab and Rajasthan;

(c) whether Government are aware of any such group which has entered into Indian territory so far; and

(d) if not, what preventive pre-emptive steps have been taken to thwart the entry of militants in the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): (a) to (d) Certain reports indicating such activities have been received. However, Govt, is fully alive to the situation and is keeping a close watch. All necessary steps, including gearing up of intelligence and sharing of information about the movements of militant groups, are being taken. The concerned State Governments have been duly sensitised to counter possible designs of militants and maintain a hightened degree of alertness,

सड़क, जहाजरानी और बन्दरगाहों के रख-रखाव हेतु परियोजनाएं

153. **श्री राम जेठमलानी** :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या यह सच हैं कि देश में सड़े, जहाजरानी तथा बन्दरगाहों के रख-रखाव को बेहतर बनाने संबंधी अनेक परियोजनाओं सरकार द्वारा निर्माणाधीन हैं;

(ख)यदि हां, तो अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग)सड़क, जल-मार्गों और बन्दरगाहों से संबंधित उन परियोजनाओं की अलग-अलग संख्या कितनी हैं जो निजी क्षेत्र द्वारा निर्माणधीन हैं, और

(घ)उपरोक्त परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं अपने पूर्व-निर्धारितए समय से पीछे चल रही हैं और सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र की इन परियोजनाओं की अलग-अलग संख्या कितनी हैं, तथा निर्माण में देरी होने के कारण परियोजनाओं की निर्माण लागत में कम से कम और अधिक से अधिक कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख)सरकार सड़क क्षेत्र में 17 बड़ी परियोजनाओं,पत्तन क्षेत्र में 15 परियोजनाओं और अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में 3 बड़ी परियोजनाओं को निर्माण कर रही हैं।

(ग)पत्तन क्षेत्र में 12 परियोजनाओं , भूमि तथा तटीय क्षेत्र सहायक सुविधाओं के विकास के लिए निजी उद्यमियों को पट्टे पर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई परियोजना जिजी क्षेत्र के निर्माणधीन नहीं हैं।

(घ) उक्त (ख) में उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर उल्लिखित 35 परियोजनाओं में से सड़क क्षेत्र में 12 परियोजनाएं और सार्वजनिक क्षेत्र में पत्तन क्षेत्र की 5 परियोजनाएं अपनी पूरा होने की मूल लक्षित तारीख से पिछड़ रही हैं। इनके पूरा होने में विलम्ब होने के कारण इन परियोजनाओं के निर्माण की लागत में वृद्धि का प्रतिशत 16% से 145% के बीच हैं।

दिल्ली परिवहन निगम (डी0 टी0 सी0) की बसों को लाया जाना

*154. **श्री दिग्विजय सिंह**:

श्री सत्य प्रकारश मालवीय :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)जून, 1995 तक दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें सड़कों पर चल रही थीं तथा कितनी बसें मामूली और बड़ी खराबियों के कारण नहीं चल रही थीं;

(ख)क्या सरकार इन सभी बसों को उपुनः सड़क पर उतारने/चालू करने के लिए निगम को धन उपलब्ध कराने का विचार रखती हैं;

(ग)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और कितने समय में कितनी बसें मरम्मत के पश्चात् सड़कों पर पुनः चलने लगेंगी; और

(घ) क्या सरकार निगम को धनराशि उपलबध करानेके आवा यह सुनिश्चित करेगी कि यह धन केवल उरोक्त मरम्म्त कार्य पर ही खर्च हो?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिनांक 30.6.95 की स्थिति के अनुसार दि0प0नि0 के पास 3481 बसों का बेडद्यज्ञ था। इन 3481 बसों में से 1391 बसें प्रचालन कर रहीं थीं।